बाल संरक्षण विशेषांक

वर्ष 2, अंक 7, जुलाई–सितंबर 2013

गुब्बारा

बच्चों का अपना अखबार

जोखिम वाले व्यवसायों में बाल मजदूर

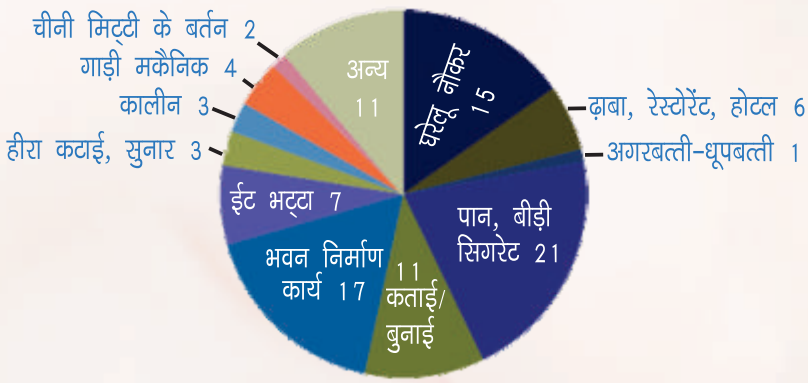

जनगणना–2001

बाल संरक्षण कब तक होगा ?

प्यारे–प्यारे भोले–भाले बच्चे, क्या बोलें क्या बोलें
बाल संरक्षण कब तक होगा, बोलें हौले–हौले

अपने घर में बच्चे बोलें, क्या बोलें क्या बोलें
अपने ही शोषण करते हैं, मन का भेद ये खोलें
अपना पराया हम ना जाने रंग–बिरंगे चोले
बाल संरक्षण कब तक होगा, बोलें हौले–हौले

श्रम करते ये बच्चे बोलें, क्या बोलें क्या बोलें
होटल का मालिक मारे है, कहता बर्तन धोले
जिन हाथों को पढ़ना था, अब मन में उठते शोले
बाल संरक्षण कब तक होगा, बोलें हौले–हौले

विद्यालय में मैडम बोलें, क्या बोलें क्या बोलें
जो मन में अच्छे लगते हैं, उनसे प्यार से बोलें
बाल संरक्षण कब तक होगा, बोलें हौले–हौले

घर में मम्मी–पापा बोलें, क्या बोलें क्या बोलें
लड़की पराया धन होती, बाल विवाह की बोलें
बाल विवाह का फंदा हमारे, जीवन में विष घोले
बाल संरक्षण कब तक होगा, बोलें हौले–हौले

सर्वशिक्षा अभियान, बीकानेर में मीना सम्मेलन में बालिकाओं द्वारा गया यह गीत 'गुब्बारा' के लिए

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा बाल मजदूर हैं।

लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट– 2012)

देश में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के-लड़कियों के विरुद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों (यौन हिंसा) की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा मजबूत एवम् प्रभावी कानून लागू किया गया है। इस कानून का नाम 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012' है। इस कानून को संक्षेप में 'पोक्सो' कानून भी कहते हैं। यह कानून एवम् इसके संगत नियम 14 नवंबर 2012 से पूरे देश में प्रभावी हुए हैं। इस कानून की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं।

1. इस कानून में लड़के-लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना, गुप्त अंगों को छूना-दिखाना, अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील कार्यों में बच्चों का उपयोग, अश्लील टिप्पणियां, गालियां देना, पीछा करना, अश्लील सामग्री जैसे अश्लील चित्र, फिल्म आदि दिखाना, लैंगिक कार्यों के लिए बच्चों की तस्करी भी अपराध के रूप में शामिल करते हुए कठोर सजा निर्धारित की गई है।

2. बच्चे की देखरेख और संरक्षण के लिए जिम्मेदार, परिवार के सदस्य, लोकसेवक इत्यादि द्वारा इस तरह की लैंगिक हिंसा करने को गंभीर अपराध मानते हुए उनके लिए कठोर सजा निर्धारित की गई है।

3. यह कानून लिंग समानता पर आधारित है, इसमें पीड़ित या दोषी कोई भी हो सकता है।

4. इस कानून में लड़का एवम् लड़की की सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

5. इस कानून में अपराध की सूचना देना एवम् दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इसमें असफल रहने पर सजा का प्रावधान किया गया है। सभी अपराध संज्ञेय एवम् अधिकांश अपराध गैर जमानती हैं।

6. बच्चे का देखरेख एवम् संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की श्रेणी का होने पर उसे 24 घंटे के भीतर, उचित देखरेख एवम् संरक्षण हेतु संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

7. राज्य में इस कानून के तहत संबंधित पुलिस वृत्ताधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

8. बच्चे के बयान, माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें बच्चे को विश्वास हो, की उपस्थिति में बच्चे के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह निवास करता है या उसकी पसंद के ऐसे स्थान पर लेखबद्ध किए जाएंगे।

9. बच्चे के बयान ऑडियो-विडियो इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा भी लेखबद्ध किए जाएंगे।

10. पुलिस सुनिश्चित करेगी कि, पीड़ित बच्चा एवम् दोषी व्यक्ति किसी भी स्थिति में एक-दूसरे के संपर्क में न आएं। किसी भी कारण से बच्चे को पुलिस थाना नहीं बुलाया जाएगा।

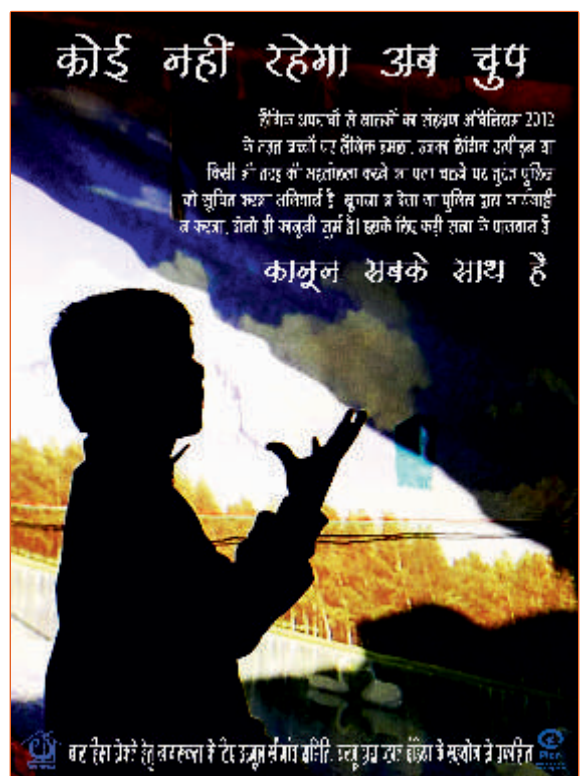

पोक्सो एक्ट– 2012 के प्रचार–प्रसार के लिए उरमूल सीमांत द्वारा निकाला गया पोस्टर। पोस्टर की प्रति उरमूल सीमांत से अवश्य प्राप्त करें।

11. इस कानून में पीड़ित बच्चों की सहायता हेतु बाल संरक्षण विशेषज्ञों, अनुवादक, विशेष शिक्षक, मनोचिकित्सक इत्यादि की सेवाएं लिए जाने के प्रावधान किए गए हैं।

12. बच्चे की पहचान आमजन, अखबारों और समाचार चैनलों आदि से तब तक संरक्षित हैं जब तक की बच्चे के हित में विशेष न्यायालय द्वारा निर्देश नहीं दिया जाए।

13. पीड़ित बच्चे के चिकित्सीय जाँच प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुए बिना भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164-क के अनुसार संचालित की जाएगी।

14. कानून के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए... शेष पृष्ठ 3 पर

सब मिलकर लड़कियों की शिक्षा के लिए जुट जाएं

दुनिया भर में 11 अक्टूबर 2013 को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को बालिका शिक्षा में नई पहल लाने का साल तय किया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस-2013 पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री बान की मून का संदेश

लड़कियों को मजबूत करना, उनके मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना और उनके साथ होने वाले भेदभाव और हिंसा को रोकना, पूरे मानव परिवार की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है लड़कियों के लिए शिक्षा के वह सभी अवसर जुटाना जिनकी वह हकदार हैं।

बहुत सारे देशों में अनेकों लड़कियों को केवल इसलिए रोक दिया जाता है, क्योंकि वह लड़कियां है। वे जिनकी माताएँ शिक्षा से वंचित रहीं, जो गरीबी में जीती हैं, या जो विकलांग हैं उनके लिए शिक्षा की राह पर आगे बढ़ना बहुत कठिन है। जो स्कूल जाती भी हैं, उन लड़कियों को भी कई तरह के भेदभाव और हिंसा को झेलना पड़ता है।

हमारा लक्ष्य है कि, लड़कियां केवल पढ़ना-लिखना और गिनती ही न सीखें बल्कि उससे भी आगे बढ़कर विश्व नागरिक बनें, जो इक्कसवीं सदी की जटिल चुनौतियों का सामना कर सकें। इस दिशा में सार्थक परिणाम पाने के लिए हमें बालिका शिक्षा की चुनौतियों के नए तरीके ढूंढने होंगे, और नई पीढ़ी की भावनाओं को सुनना-समझना होगा।

नई बालिका नीति पर विचार विमर्श करने के लिए मैं पूरी दुनिया में जहां भी गया मैने लड़कियों की बातों को सुना। मैं इस संकल्प की घोषणा करना चाहता हूँ कि "पूरी दुनिया में शिक्षा पहले अभियान" के अंर्तगत हम अपने सभी सहभागियों के साथ मिलकर लड़कियों को मजबूत करने की आवाज पूरी दुनिया में जोर से उठाएं। इससे भी ज्यादा जरुरी है कि, वर्ष 2015 तक "सहस्त्राब्दी के विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेवलेपमेंट गोल्स)" पाने का हमारा अभियान सफल हो और वर्ष 2015 के आगे भी लड़कियों के लिए संभावनाओं के सपने का विस्तार हो सके।

आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर लड़कियों की शिक्षा के लिए जुट जाएं ताकि सारी लड़कियां के व्यक्तित्व का विकास हो सके और वह इस लायक बन सकें कि वे पूरी दुनिया के भविष्य संवार सकें।

पृष्ठ 2 का शेष...

...राज्य में प्रत्येक जिले के जिला एवम् सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रुप में निर्धारित किया गया है।

15. अधिनियम की धाराओं 3, 5, 7 और धारा 9 के अधीन कोई अपराध या दुष्प्रेरित करने या करने का प्रयास करने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां विशेष न्यायालय यह मानेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है या दुष्प्रेरित किया है या करने का प्रयास किया है जब तक की प्रतिकूलता साबित नहीं हो।

16. विशेष न्यायलय बंद कमरे में, बच्चे के माता-पिता, संरक्षक, मित्र या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसमें बच्चे को विश्वास हो, को न्यायालय में उपस्थित रहने की अनुमति देते हुए बाल मैत्री माहौल में सुनवाई करेगा।

17. विशेष न्यायालय, विचारण के दौरान, बच्चे के लिए बीच-बीच में अंतराल की अनुमति दे सकेगा। विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बच्चे को बार-बार नहीं बुलाया जाए।

18. विशेष न्यायालय, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या एक तरफ दिखाई देने वाले कांच या परदे या किसी अन्य उपकरण का उपयोग करते हुए बच्चे के बयान को लेखबद्ध करेगा।

19. कोई अपराध बच्चे द्वारा कारित किया गया हो, वहां ऐसे बच्चे को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवम् संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अधीन देखा जाएगा।

20. यदि बच्चे का परिवार या संरक्षक, विधि अधिवक्ता का खर्च वहन करने में असमर्थ हो तो विधिक सेवा प्राधिकारण उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएं प्रदान करेगा।

21. विशेष न्यायालय पीड़ित बच्चे के पक्ष में अंतरित अनुतोश का आदेश पारित कर सकेगा, जिसे अंतिम प्रतिकर में समायोजित किया जाएगा।

22. विशेष न्यायालय अपराध का प्रसंज्ञान लेने की तारिख से एक वर्ष की अवधि के भीतर मामला निस्तारित करेगा।

23. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवम् राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी।

बच्चों पर हिंसा को रोको ''जानो बोलो करो''

बच्चों पर हिंसा लगातार बढ़ती ही जा रही है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति राजस्थान में पहले से ही मौजूद है। हर 5 में से 3 बालिकाओं का बाल विवाह हो जाता है। वहीं दूसरी और बाल मजदूरी को देखें तो बीटी कपास, छोटे कारखानों, दुकानों, सड़क किनारे लगने वाले ठेलों, ढाबों आदि में बच्चों से घंटों जोखिम भरे काम करवाये जाते हैं। इसी तरह अन्य लघु उघोगों जैसे जरी, गलिचा बनाने, ईट-भट्टों पर काम करवाने के लिए अन्य राज्यों से बच्चों को तस्करी करके राजस्थान में लाया जाता है, और यहां के बच्चों को अन्य राज्यों में तस्करी करके ले जाया जाता है।

सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2007 में किए गए एक अध्ययन में यह भी निकल कर आया कि हर तीन में से दो बच्चों का मानसिक या शारीरिक शोषण उनके घर-परिवार के करीबी, रिश्तेदार या पड़ोसी द्वारा ही किया जाता है। विद्यालयों में भी बच्चों की पिटाई, बाल काट देना, लैंगिक उत्पीड़न करना जैसी घटनाएं आए दिन अखबार में मिलती हैं।

बच्चों पर होने वाली सभी तरह की हिंसा और शोषण को समाप्त करने के लिए राजस्थान में 24 सितंबर 2013 को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का नाम जाबोक अर्थात '' जानो बोलो करो '' है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को बच्चों से संबंधित कानून और नीतियों से अवगत कराना है, जिससे कि बच्चों पर होने वाली हिंसा को समाप्त किया जाये और हिंसा करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले।

आने वाले दिनों में इस अभियान को गाँव-गाँव, घर-घर तक पहुंचाने के लिए बच्चों के साथ काम करने वाली संस्थाएं रैली, बैठकों आदि का आयोजन करेंगी। बाल मंच और किशोरी प्रेरणा मंच में बच्चों के अधिकार और कानून पर बात की जायेगी। बच्चों द्वारा अपनी बातों को लिखने और चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए नई गतिविधियां की जायेंगी। नुक्कड़ नाटक करके लोगों को कानून और बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया जायेगा। अखबार और टीवी न्यूज चैनलों पर भी इन गतिविधियों को दिखाया जायेगा जिससे कि सभी बच्चों और बड़ों तक यह बात पहुंच सके।

पोक्सो एक्ट की दी जानकारी

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष दीपक कालरा ने बताया कि बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को सख्त सजा देने के लिए एक नया कानून आया है। इस कानून का नाम ''लैंगिक उत्पीड़न से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' है। इसमें यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को पुलिस में दर्ज करना अनिवार्य है। पुलिस भी उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। इसके अलावा ऐसे मामलों में अदालत की सुनवाई को भी इस कानून ने आसान कर दिया है, जिससे कि पीड़ित बच्चे या परिवार को जल्दी और आसानी से इंसाफ मिल सके।

ब्रेल लिपि में 'पोक्सो'

जाबोक अभियान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। दृष्टिबाधित और विकलांगता से लोगों को निकालकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाली संस्था साईटसेवर्स ने इस अभियान में पोक्सो एक्ट की ब्रेल लिपि में छपी किताब को प्रकाशित किया है। जिससे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी इस कानून को पढ़ कर इसकी पूरी जानकारी ले सकें। कार्यक्रम में शामिल विशेषजन छात्र ने इस कानून की ब्रेल लिपि में छपी किताब पढ़कर सबको सुनाई।

सुमित्रा ने रखी बालिकाओं की चुनौतियां

झझू गाँव के सरस्वती किशोरी बालिका समूह की अध्यक्ष सुमित्रा पुरोहित ने जाबोक अभियान में उरमूल सीमांत समिति की तरफ से आज के समय में सभी बालिकाओं के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में सबको अवगत कराया। सुमित्रा द्वारा दिया गया भाषण इस प्रकार है।

मेरे गाँव में बारहवीं तक का स्कूल होने के बावजूद भी कई लड़कियां ऐसी है जो स्कूल नहीं आ रही। क्यों ? इसके कई कारण हैं

1. घर के बड़े बुजुर्ग कहते है स्कूल जाकर क्या करेगी ? कौन सा पढ़-लिख कर तूँ डॉक्टर बन जाएगी तुझे तो घर का चूल्हा-चौका ही सम्भालना है। यहीं लड़कियों का धर्म है। यह पढ़ना लिखना अपने बस की बात नहीं है।

2. माना कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा कर दी है। परन्तु घर की बेरोजगारी के कारण लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। वह स्कूल जाने के वक्त खेतों में काम करती हैं, फसल काटती हैं। फसल कटाई के उनको प्रतिदिन 300/400 रुपये मिलते है उससे उनके घर की आर्थिक स्थिति में मदद मिलती है। परिवार का मानना है कि स्कूल से क्या लाएगी ? सिर्फ समय बरबाद होगा। स्कूल के वक्त ईंट-भट्टे पर जाएगी। जितनी ज्यादा ईंटें होगी उतने ज्यादा दाम पाएगी। ईट बनाने का काम करेंगी।

3. स्कूल न जा पाने का एक और बड़ा कारण है बाल विवाह। उन्हें उम्र से पहले ही ऐसे अटूट बंधनों में बांध दिया जाता है, जिसके लिए उनकी उम्र ही नहीं है। इन बंधनों में बंध कर वह सब कुछ खो बैठती हैं। उन पर कई तरह की रोक-टोक और प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं।

न तो वे बाहर निकल सकती हैं

न वे पढ़ाई कर सकती हैं

न वे खेल-कूद सकती हैं

बाल विवाह से उनके शरीर पर भी कई कुप्रभाव पड़ते हैं। वह पूरी जिंदगी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रुप से सबल व सक्षम नहीं बन पाती हैं।

4. आज का समय, आज का माहौल भी लड़कियों का स्कूल में न होने का एक कारण बन गया है। इन दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर एक भय उत्पन्न हो चुका है, उसी भय का सबसे ज्यादा असर लड़कियों पर पड़ रहा है। लड़कियों के लिए घर से बाहर जाना भी कठिन हो चुका है। लड़की के माता-पिता को यह चिंता रहती है कि वह घर के बाहर कहाँ-कहाँ सुरक्षित रह सकेगी, उन्हें चिंता रहती है कि पता नहीं स्कूल में सुरक्षित रहेगी भी या नहीं, क्योंकि अब स्कूल जैसे शिक्षा के मंदिर भी लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। आज भारत आजाद है। आजादी को 66 वर्ष हो गए मगर लड़कियों के लिए नहीं। उन्हें तो वही सब झेलना पड़ रहा है। आज लड़की सुरक्षित नहीं है कहीं पर भी चाहे वह किसी भी उम्र की हो।

मैं आपको बता दूँ कि हम लड़कियां पढ़ना चाहती है लेकिन हमारे लिए माहौल होना जरूरी है। जिससे किसी को यह सोचने की जरूरत न हो कि बेटी स्कूल में ठीक है ? कैसे जाएगी जमाना खराब है ? आदि... मैं कहती हूँ, बस नजरिया और माहौल को बदलना जरूरी है। जब हमारे आस-पास माहौल न हो तो हम कैसे आगे बढ़ पायेंगी ?

हर लड़की को सपने देखने का हक है चाहे वह गाँव की हो या शहर की। हर लड़की सपने देखती है, बस उसमें से कुछ ही लड़कियाँ अपने सपनों में उड़ान भर सकती है बाकि तो सिर्फ सपने सजा कर ही रह जाती हैं। मैं चाहती हूँ सभी लड़कियाँ पढ़ें आगे बढ़ें, और आजादी की खुली हवा में सांस लें।

साहस और उम्मीद की प्रतीक– मलाला

दुनिया के सभी बड़े और छोटे अखबार, पत्र–पत्रिकाओं ने एक लड़की को अपने पहले पन्ने पर छापा। उस लड़की की आवाज दुनिया भर में फैली और पूरी दुनिया में शिक्षा की एक नई क्रांति पैदा हुई। इस नई लहर को जन्म देने वाली लड़की थी मलाला। आखिर क्या हुआ जो सारी दुनिया में इस लड़की की बात हुई। गुब्बारा के पाठकों के लिए मलाला यूसुफजई की जिंदगी पर बीबीसी के साभार से एक विशेष लेख

करीब एक साल पहले पाकिस्तान की स्वात घाटी में तालिबानी बंदूकधारियों ने मलाला यूसुफजई के सिर में गोली मार दी थी। उसका अपराध केवल इतना था कि वह लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठा रही थी। इस जानलेवा हमले के बावजूद डॉक्टरों की मेहनत से मलाला की जिंदगी बच गई।

पढ़ने का हक

मलाला ने बीते दिनों अपने 16वें जन्मदिन के मौके पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में लोगों को संबोधित किया। ब्रिटेन के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने उन्हें 'साहस और उम्मीद की प्रतीक' बताकर उनकी तारीफ की। लेकिन ये मलाला किसी भी आम लड़की की तरह ही है, जो विद्यालय से मिले गृहकार्य और पढ़ाई को लेकर चिंतित रहती है। वह अपने पुराने विद्यालय के दोस्तों को याद करती है और दो छोटे भाइयों के साथ उसका अक्सर झगड़ा होता ही रहता है।

एक समय था जब स्वात की खूबसूरत घाटी को 'पाकिस्तान का स्विटजरलैंड' कहा जाता था और 1997 में मलाला के जन्म के समय तक यह जगह शांतिपूर्ण थी। पाकिस्तानी सेना ने 2009 में स्वात को तालिबान के नियंत्रण से आजाद कर लिया था, लेकिन आज भी वहां जाना काफी चुनौती भरा है।

आमतौर पर पाकिस्तान का उत्तर-पूर्वी इलाका काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन स्वात शिक्षा के मामले में काफी आगे है। मलाला के जन्म के आसपास ही उनके पिता जियाउद्दीन यूसुसजई ने एक विद्यालय खोलने का फैसला किया। कुछ शिष्यों के साथ शुरू हुआ ये सफर देखते-देखते 1,000 से अधिक छात्र-छात्राओं का एक कारवाँ बन गया। इस विद्यालय से मलाला की यादें जुड़ी हुई हैं। उसकी पुरानी कक्षा के बाहर अखबारों में छपी उससे संबंधित समाचारों की कतरनें लगी हैं। कक्षा में अगली पंक्ति की एक कुर्सी पर उसका नाम लिखा है। ये ही मलाला की दुनिया थी। उनकी प्रधानाध्यापिका मरियम खालिकी बताती हैं कि मलाला की पूरी कक्षा ही खास है। उनमें से कई डॉक्टर बनना चाहती हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है।

मुश्किल हालात

मलाला कहती हैं कि 'मेरे भाइयों के लिए भविष्य के बारे में सोचना आसान है। वे जो चाहें बन सकते हैं। लेकिन मेरे लिए यह कठिन था और यही वजह थी कि मैं पढ़ना चाहती थी और ज्ञान के जरिए खुद को सक्षम बनाना चाहती थी।' लेकिन 2008 तक हालात काफी मुश्किल हो चुके थे। स्थानीय तालिबानी नेता मुल्ला फजलुल्लाह ने चेतावनी जारी की थी कि एक महीने के अंदर महिलाओं की पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विद्यालयों को इसके नतीजे भुगतने होंगे।

मलाला उस क्षण को याद करते हुए बताती हैं, 'वे हमें विद्यालय जाने से कैसे रोक सकते थे? मैं सोच रही थी। ये नामुमकिन है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं?

उस समय मलाला की उम्र महज 11 साल थी।

लेकिन मलाला के पिता और उनके दूसरे विद्यालय संचालक दोस्तों को वास्तविकता का अंदाजा था। उन्होंने स्थानीय सेना कमांडर से मदद मांगी। ऐसे वक्त में मलाला ने इंटरनेट के माध्यम से विश्वविख्यात समाचार एजेंसी बीबीसी की उर्दू सेवा के लिए 'डायरी ऑफ अ पाकिस्तानी स्कूलगर्ल' (एक पाकिस्तानी छात्रा की डायरी) शीर्षक से एक ब्लॉग लिखना शुरू किया।

तालिबान को चुनौती

इन लेखों में विद्यालय जाने को लेकर उनकी उम्मीद और स्वात के भविष्य को लेकर डर दिखता था। मलाला ने इस ब्लॉग को एक अवसर के रूप में लिया और शिक्षा के अधिकार को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी।

पाकिस्तान के टीवी पत्रकार हामिद मीर कहते हैं कि, 'मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था कि स्वात में एक छोटी लड़की है, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल सकती है, जो बहुत बहादुर है और जो साफगोई के साथ अपनी बात रखती है।' वह बताते हैं कि, 'साथ ही मैं उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हुआ।' चुँकि मलाला के पिता जियाउद्दीन यूसुफजई भी शिक्षा के अधिकारों के लिए सक्रिय थे, इसलिए उन्हें भी खतरा था। मलाला बताती हैं कि, 'मैं अपने पिता को लेकर चिंतित थी। मैं सोचती थी कि अगर तालिबान घर में आ गए तो मैं क्या करुंगी।' किसी ने यह नहीं सोचा था कि तालिबान एक बच्ची को अपना निशाना बनाएगा, हालांकि उनकी तरफ से महिलाओं पर हमले हो चुके थे।

जानलेवा हमला

लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ और 2012 में मलाला पर जानलेवा हमला हुआ। नौ अक्तूबर को दोपहर स्कूल से वापस लौटते हुए वह अपनी सहेलियों के साथ खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। तभी दो लोग आए और उन्होंने पूछा कि मलाला कौन है? और ये पूछने के साथ ही ताबड़तोड़ गोली चला दी। मलाला के सिर में गंभीर चोट आई थी और उसका बचना मुश्किल लग रहा था। उसकी दो सहेलियाँ भी घायल थीं।

मलाला के पिता बताते हैं कि, 'अस्पताल में मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और उसके माथे को चूमकर कहा कि मुझे तुम पर गर्व है।' उसे हेलिकॉप्टर से पेशावर स्थित सेना के अस्पताल लाया गया। उसकी जान बचाने के लिए सर्जरी जरूरी थी। ठीक होने के बाद मलाला ने इंग्लैंड में ही स्कूल जाना शुरू किया। उसका इलाज कर रहे डॉक्टर खान ने कभी भी मलाला यूसुफजई का नाम नहीं सुना था, लेकिन वो इतना समझ चुके थे कि वो किसी बहुत बड़ी हस्ती का इलाज कर रहे हैं।

अस्पताल के बाहर कैमरों और मीडियाकर्मियों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी का कहना था कि, 'अगर वे मलाला जैसी छोटी लड़की को निशाना बना सकते हैं, तो वे किसी को भी निशाना बना सकते हैं।'

दुनिया भर का साथ

अब तक मलाला पर हुए इस हमले की खबर दुनिया में फैल चुकी थी और पूरी दुनिया मलाला की सेहत के बारे में जानना चाहती थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख अशफाक कियानी इस मामले में खास दिलचस्पी ले रहे थे। इस बीच मलाला के इलाज में मदद के लिए बर्मिंघम से डॉक्टरों का एक विशेष दल पाकिस्तान आ गया।

डॉक्टरों के इस दल की अगुवाई पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश डॉक्टर जावेद कियानी कर रहे थे। इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए ब्रिटेन भेजा गया। बर्मिंघम के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में मलाला की खोपड़ी के एक हिस्से पर टाइटेनियम की एक प्लेट लगाई गई है और सुनने का एक यंत्र लगाया गया है। ये ऑपरेशन लगभग पांच घंटे चला। इस ऑपरेशन के बारे में मलाला बताती हैं, 'मैंने अपनी आंखें खोलीं और मैंने पाया कि मैं अस्पताल में हूँ और मैं नर्स और डॉक्टरों को देख सकती थी। मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ओ अल्ला, मैं आपको धन्यवाद देती हूं क्योंकि आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है और मैं जिंदा हूँ। इस समय मलाला कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने एक कागज और पेंसिल की इच्छा जताई। उसके लिखने की कोशिश की, लेकिन वो पेंसिल को पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसे में एक अंग्रेजी अक्षर वाला बोर्ड मंगाया गया।

बच्चों की आवाज

मलाला ने पहला शब्द लिखा 'कंट्री'। ऐसे में सभी ने सोचा कि वह जानना चाहती है कि वो किस देश में है। उसे बताया गया कि वो इस समय इंग्लैंड में है। उसने अगला शब्द 'फादर' लिखा। उसे बताया गया कि उसके पिता पाकिस्तान में हैं। इसके बाद मलाला ने पूछा कि 'मेरे साथ ऐसा किसने किया?' मलाला की तबियत में तेजी के साथ सुधार दर्ज किया गया और उसके बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। आत्मविश्वास से भरी मलाला ने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया।

इसी साल 12 जुलाई को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। उनके भाषण का प्रसारण दुनिया भर में किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, **'एक बच्चा, एक अध्यापक, एक किताब, एक पेन इस दुनिया को बदल सकते हैं।**

मलाला के पिता बताते हैं कि, 'वह उम्मीद की मशाल थामे है और दुनिया को बता रही है कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम शांतिप्रिय हैं और शिक्षा को पसंद करते हैं।' जब मलाला से पूछा गया कि वह क्या सोचती हैं कि चरमपंथियों को उन पर हमला करके क्या मिला?

उन्होंने कहा कि 'मैं सोचती हूँ कि उन्हें मलाला पर हमला करने का अफसोस होगा। अब उसकी आवाज दुनिया के हर कोने में सुनी जाती है।

मच्छर जी, भागो नीं म्हारे देस सूं

बारिश के बाद इस बार बीकानेर जिले में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों ने मुसीबत पैदा कर दी है। यह दोनों ही बीमारियां मच्छर के काटने से होती हैं। मलेरिया और डेंगू फैलने से रोकने का एक ही उपाय है, मच्छरों को पैदा ही न होने दिया जाए। मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए और लोगों को मलेरिया और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए बाल मंच और किशोरी प्रेरणा मंच के सदस्यों ने कोलायत के सभी गाँवों में रैली का आयोजन किया। इस रैली में बड़ा ढोल बजाकर बच्चों ने मच्छरों के पैदा होने वाली जगह को साफ करने, पानी न ठहरने, झाड़ियों को काटने, कीचड़ न होने, पानी के टांकों में दवा डालने के लिए नारे लगाए।

रैली के बाद गाँव में सभी लोगों को इकठ्ठा किया गया। स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा और उरमूल सीमांत के कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों को मलेरिया और डेंगू से बचने की बातें बताई। लोगों को टैमीफॉस दवाई बांटी गई। जिसे बच्चों ने अपने सामने ही पानी की टंकी में डलवाया। गाँव की नालियों और कीचड़ वाली जगह पर फंसे पानी को निकालने के लिए रास्ता बनवाया गया और गंदे पानी में कैरोसिन और तेल डाला गया। कई लोगों को मच्छरों के लारवा खाने वाली गम्बूशिया मछलियां भी दी गई। जिन्हें तालाब और गाँव के बड़े हौद में डाला गया।

हदां गाँव में बच्चों ने एक बड़ी रैली निकाली। करीब 800 बच्चे इस रैली में शामिल हुए और उन्होंने पूरे गाँव में नारे लगाए। ऐसा ही दियातरा गाँव में हुआ। दियातरा गाँव में 30 बच्चों द्वारा रैली शुरू की गई, जो गाँव के बीच में पहुंची तो इस रैली में बच्चे और बड़े जुड़ने लगे और संख्या चार गुना बढ़ गई। इस तरह की रैलियां बीठनोक, सुरजड़ा, छीला कश्मीर, गड़ियाला, गिर्राजसर, खारी, गजनेर, कोलायत, दासौड़ी, सियाणा, चिमाणा, बज्जू आदि गाँवों में निकाली गई। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और उरमूल सीमांत के कार्यकर्ता, बाल मंच और किशोरी प्रेरणा मंच की सहायता से प्रत्येक विद्यालय के साथ-साथ गाँव के प्रमुख स्थानों पर भी मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

शिक्षक के गलत व्यवहार पर छात्रों का प्रदर्शन

बीकानेर में स्थित एक विद्यालय के छात्रों ने कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन कर उन्हें बताया कि उन्हें विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। अध्यापक उनके साथ गाली-गलौच करते हैं तथा उनकी पिटाई भी करते हैं। छात्रों ने इस मामले में जल्द कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने इसकी शिकायत चाइल्डलाइन-1098 के माध्यम से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी की है। छात्रों ने कहा है कि अगर इस मामले में जल्दी ही कोई कार्यवाही नहीं की गई तो छात्र विद्यालय का बहिष्कार करेंगे।

छात्रों के एक शिष्टमंडल ने चाइल्डलाइन को फोन कर बताया कि विद्यालय का एक वरिष्ठ शिक्षक अभ्रद भाषा का प्रयोग करके उन्हें बुलाते हैं। जब कोई बच्चा इसका विरोध करता है तो उसको किसी न किसी बहाने से पीटना शुरू कर देते हैं। यह दुर्व्यवहार दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा था। विद्यालय प्रशासन से शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों ने इसकी शिकायत कलेक्टर और बाल आयोग में की। छात्रों की मांग है कि इस शिक्षक को जल्द से जल्द विद्यालय से निष्काषित किया जाए।

संपादन - विपिन उपाध्याय, रवि मिश्रा।
संपादन सहयोग - सुनील लहरी, डॉ. हरिशंकर भोजक। मुद्रक-क्रीडा प्रिंटर्स, बीकानेर
उरमूल सीमांत समिति के लिए प्लान इंडिया के सहयोग से उरमूल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित। निजी वितरण हेतु।
उरमूल सीमांत समिति, पावर ग्रिड के पास, बज्जू, ब्लॉक- कोलायत, बीकानेर - 334305, फोन : 01535-232034
बीकानेर में संपर्क: उरमूल ट्रस्ट, उरमूल भवन। बीकानेर-334001 फोन : 0151-2523093, mail@urmul.org
URMUL SEEMANT
Plan